फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

श्रीमती कुसुम नांदे अध्यात्मिक गोमुख स्कूल , नियर पीर बावजी कॉकरोली तह0 व जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

1--लोक सूचना अधिकारी, अति0जिला कलक्टर राजसमन्द

2--लोक सूचना अधिकारी,अध्यक्ष/सचिव बाल कल्याण समिति राजसमन्द

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार पत्रावली संख्या 27/2018

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 16.08.2018 अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी अध्यक्ष /सचिव बाल कल्याण समिति राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी अध्यक्ष/सचिव बाल कल्याण समिति राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक प.1()सू.अ.05/2018/592--93 दिनांक 24.07.2018 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि प्रार्थीया/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 10.07.2018 का सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 11.07.2018 को प्राप्त हुआ है । उक्त आवेदन पत्र से चाही गई वर्णित वांछित सूचना अध्यक्ष/सचिव बाल कल्याण समिति राजसमन्द की होने से इस अनुभाग के जरिये पत्रांक कमांकःप.1( )सू0अ0,05/2018/523–24 दिनांक 11.07.2018 को प्रेषित गया । पत्र की प्रति एवं आवेदन पत्र अवलोकनार्थ एनेक्स–1 संलग्न है। प्रार्थिया के आवेदन पत्र को जिस दिन कार्यालय को प्राप्त हुआ आवेदन पत्र का अवलोकंन करने पर चाही गई सूचना अन्य विभाग की होने से उसी दिन संबंधित विभाग को भिजवाया गया आवेदन पर अविलम्ब अन्तरण किया गया है । इसी प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 2 अध्यक्ष जिला बाल कल्याण समिति राजसमन्द ने उपस्थित होकर जरिये पत्रांक 353 दिनांक 16.08.2018 से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसमें निम्नानुसार तथ्य अंकित किये गये हैं:– 1– बाल कल्याण समिति राजसमन्द द्वारा प्रार्थिया द्वारा उल्लेखित संस्था में बंधक बनाने के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया गया । मुखबिर की सूचना बताना आवश्यक नहीं है । 2– दिनांक 04.07.2018 को प्रार्थिया द्वारा बालिकाओं को संस्थान में भेजने संबंधी आदेश की प्रति सलंग्न है । 3– प्रार्थिया द्वारा जानकारी चाही गई कि वह सभी 67 बालिकाओं के संबंध में पारित सभी अंतिरम आदेशों की प्रमाणित फोटो प्रतियॉ चाहती है	

जो कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के सेक्शन 99(1) के तहत गोपनीय है ,क्योकि ये सभी दस्तावेज समिति द्वारा अग्रिम जॉच व वैधानिक कार्यवाही हेतु आवश्यक है इसके साथ ही किशोर न्याय अधिनियम के सेक्शन 74(1) के तहत बालिकाओं की पहचान का प्रकटीकरण इन बालिकाओं के सर्वोत्तम हित को देखते हुए निषिद्व किया जाता है । अतः सूचना के अधिकार के तहत इन आदेशों की फोटो प्रतियॉ दिया जाना संभव नहीं है ।

4— इस मामले में वर्तमान में जॉच विचाराधीन है। मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने सूचना उलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रार्थीया / अपीलार्थी की अपील के संदर्भ में प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी करते हुये अपीलार्थी को भी नोटिस की प्रति प्रेषित कर अपील के उत्तर पर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो आप व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करे । इस क्रम में प्रार्थीया / अपीलार्थी वक्त पेशी आज स्वयं उपस्थित हैं और प्रत्यर्थी बाल कल्याण समिति,राजसमंद से प्रार्थीया / अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवायी गयी किन्तु प्रार्थीया / अपीलार्थी ने उपलब्ध करवायी गयी सूचना में शेष रही गोपनीय सूचना को भी उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की गई ।

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द व अध्यक्ष जिला बाल कल्याण समिति राजसमन्द की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपीलार्थिया को सुना गया ।

प्रार्थिया / अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में रिपोर्ट अनुसार एवं किशोर न्याय अधिनियम 2015 के सेक्शन 99(1) के तहत चाही गई सूचना गोपनीय है । चाही जा रही सूचना के दस्तावेज की वर्तमान में समिति द्वारा अग्रिम जॉच व वैधानिक कार्यवाही हेतु आवश्यक होना बताया है साथ ही किशोर न्याय अधिनियम के सेक्शन 74(1) के तहत बालिकाओं की पहचान का प्रकटीकरण इन बालिकाओं के सर्वोत्तम हित को देखते हुए प्रार्थिया द्वारा चाही गई सूचना उक्त अधिनियमों के मध्यनजर एवं बालिकाओं के सर्वोत्तम हितो को देखते हुए तथा वर्तमान में जॉच विचाराधीन होने के मध्यनजर प्रार्थीया / अपीलार्थी को उपलब्ध करवाये जाने योग्य सूचना आज वक्त पेशी रुबरु उपलब्ध करवायी जा चुकी हैं। अतः प्रार्थीया / अपीलार्थी की उक्त अपील को ऐसी स्थिति में निर्णित किया जाता हैं। निर्णय की प्रति प्रार्थीया / अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द